



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून
फोन-0135-2641115 फ़ैक्स-2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016, [Draft UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) (First Amendment) Regulations, 2016] पर सुझाव आमंत्रण

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं इसके पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, आयोग द्वारा उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 जारी किया गया था। उक्त प्रारूप प्रथम संशोधन विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

2. प्रारूप उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 02.01.2017 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।